न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल(आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 168/2019 (2019/000436)

अनवान

1. छोटू पिता खूमा पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
2. नारायण पिता स्व.जगन्नाथ पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
3. सोहन पिता स्व.जगन्नाथ पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. रतनी पुत्री स्व.जगन्नाथ पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
5. उदयलाल पिता किशन पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
6. हीरालाल पिता किशन पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
7. मोहनी पिता किशन पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
8. रामी पिता किशन पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
9. भेरू पिता सेवा पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
10. नारायण पिता सेवा पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. गणपत पिता स्व.रतनलाल सुथार नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भगवतीलाल पिता स्व.रतनलाल सुथार नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ

3. गोपाल पिता स्व.रतनलाल सुथार नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सदर बाजार चित्तौडगढ
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री चन्दनमल जणवा अधिवक्ता वादीगण

श्री चम्पालाल जाट अधिवक्ता प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी.</u>

निर्णय दिनांक 05\05\26

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. का ग्राम पाण्डोली की आराजी संख्या 1506, 1508 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हे. एंव आराजी नं 1507 रकबा 0.26 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जैर बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् 07 नियम 11 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया किया कि वादी द्वारा ग्राम पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौडगढ मे स्थित आराजी संख्या 1507 मे से 0.15 हे. भूमि जो कि आराजी संख्या 1508 से लगी हुई है की खातेदारी घोषणा की आज्ञप्ति चाही है। वादी ने वाद पत्र मे स्पष्ट कथन किया है कि वादीगण के पिता व पति द्वारा न्यायालय आप मे आराजी संख्या 1507 में से 0.15 है की खातेदारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा एंव इन्द्राज दुरूस्ति का वाद पूर्व मे प्रस्तुत किया है एंव वाद संख्या 208/1996 है एंव दिनांक 09.11.1997 को निर्णित किया जाकर खातेदारी घोषित करते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की गई ।

वादीगण अपनी प्लीडिंग द्वारा स्वीकार करते है कि पूर्व मे न्यायालय आप मे वाद निर्णित किया जा चुका है इस वाद में चाही गई रिलीफ प्रदान की जा चुकी है। उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है वाद वादीगण के पिता एंव पति एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध निर्णित हुआ है सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित हुआ है । यह वाद भी पूर्व निर्णित वाद में वर्णित सम्पत्ति एंव तथ्यो पर आधारित एंव वादीगण भी वर्तमान वाद के वादीगण के पिता एंव पति है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 ही पूर्व मे भी खातेदार थे एंव वर्तमान मे भी खातेदार है । अत वाद पूर्व मे निर्णित हो चुका है इन्ही तथ्यो एंव इन्ही पक्षकारो के बीच पूर्व मे वाद मे प्रदान किये जा चुके अनुतोष के कारण पुन वाद उसी अनुतोष हेतू चलने योग्य नही है , विधि द्वारा बाधित है।

दिनांक 09.11.2017 को पूर्व वाद निर्णित हुआ है निश्चित रूप से उस दिनांक पूर्व ही वाद कारण बताया जान से वाद संख्या 208/1996 न्यायालय आप मे दर्ज हुआ हुआ है । इसी प्रकरण का वाद कारण दिनांक 05.08.2019 दर्शाया है जो स्वतः ही गलत कथन है। उक्त दिनांक को वाद को काई वा कारण उत्पन्न नही हुआ है जिससे भी यह वाद खारीज किये जाने योग्य है। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र खारीज किए जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादी का दिलवाई जाकर जवाब हेतू पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने से वादी के प्रार्थना पत्र के जवाब का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई । अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र पूर्व मे प्रकरण संख्या 208/1996 से दर्ज होकर बाद सुनवाई डिक्री हो चुका है उसके बाद भी वादीगण ने समान पक्षकार व समान अनुतोष का वाद पत्र पेश कर दिया है जो विधि द्वारा बाधित होने से बार्ड बायॅ लॉ होने से एंव वाद हेतूक भ्रामक होने से वादी का वाद पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो के तहत खारीज किए जाने का निवेदन किया । इसके विपरित अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निराधार होकर खारीज किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के निष्कर्ष पर पहुचने से पूर्व एक नजर विधिक प्रावधनो की रोशनी पर जो कि इस प्रकार है :-

विशेष :- विधिक प्रावधानो के अनुसार आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ मे नामंजूर किया जावेगा।

(क) जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पपर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है ,

(मीनू तेजस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है , किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर , जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है

(घ) जहाँ वाद पत्रं के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहाँ यह दो प्रतियों मे फाइल नही किया जाता है

(च) जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन का अनुपालन करने मे असफल रहता है

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत् घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती , एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी 01 से 03 ने जो मुख्य आपत्ति अपने प्रार्थना पत्र मे उठाई है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध मे वाद पूर्व मे प्रस्तुत किया है जिसके प्रकरण संख्या 208/1996 है। उक्त प्रकरण बाद सुनावाई दिनांक 09.11.1997 को डिक्री हुआ है । उक्त वाद वादीगण के पिता एंव पति एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध निर्णित हुआ है । सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित हुआ है । यह वाद भी पूर्व निर्णित वाद में वर्णित सम्पत्ति एंव तथ्यो पर आधारित एंव वादीगण भी वर्तमान वाद के वादीगण के पिता एंव पति है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 ही पूर्व मे भी खातेदार थे एंव वर्तमान मे भी खातेदार है । अत वाद पूर्व मे निर्णित हो चुका है इन्ही तथ्यो एंव इन्ही पक्षकारो के बीच पूर्व मे वाद मे प्रदान किये जा चुके अनुतोष के कारण पुन वाद उसी अनुतोष हेतू चलने योग्य नही है , विधि द्वारा बाधित है।

इसके साथ ही वादी को वाद हेतूक उत्पन्न नही होने की भी आपत्ति उठाई है। उक्त आपत्ति के निस्तारण हेतू वाद पत्र का सारवान पठन व पाठन

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया गया तो जाहिर हुआ है कि वादीगण ने स्वंय वाद पत्र के अभिवचनो मे पूर्व मे प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण संख्या 208/1996 जो बाद सुनवाई दिनांक 09.11.1997 को डिक्री होना जाहिर किया है। गौरतलब है कि पूर्व मे प्रस्तुत वाद पत्र और वर्तमान वाद पत्र समान आराजीयात एंव समान अनुतोष व समान पक्षकारो के मध्य निर्णित हुआ है । उपरोक्त विधिक स्थिति मे समान विवाद्यक बिन्दू पर पुनः समान आराजीयात के सम्बन्ध मे वाद पत्र की सुनवाई किया जाना धारा 11 सीपीसी अर्थात रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त का उल्लघंन होता है। ऐसी सूरत मे वादीगण का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से ग्रसित होने की पुष्टि होती है।

अब रहा सवाल वाद हेतूक उत्पन्न नही होने का तो उक्त बिन्दू का विनिश्चय वाद पत्र के पठन मात्र से होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध मे जब पूर्व मे वाद पत्र प्रकरण संख्या 208/1996 पर दर्ज होकर दिनांक 09.11.1997 को निर्णित हो चुका है तो स्वाभाविक है कि पूर्व मे प्रस्तुत वाद पत्र का कारण भी वर्ष 1997 से पूर्व ही उत्पन्न हुआ होगा तभी वाद पत्र दर्ज होकर बाद सुनवाई निर्णित हुआ है ऐसी स्थिति मे वादी हस्तगत वाद पत्र की वर्तमान का दर्शाने के लिए वाद पत्र की रचना चतुराई से की गई है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का वाद पत्र मे कोई वाद हेतूक उत्पन्न ही नही होता है।

अतः ऐसी सूरत मे वादीगण का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव रखने से एंव वाद हेतूक उत्पन्न नही होने से वादीगण का वाद पत्र प्रार्थना पत्र

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो के तहत खारीज किए जाने योग्य है।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश मे प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो (क) , (घ) की रोशनी मे प्रकाशमान प्रतीत होता है।

अत : प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो के अनुसार वादीगण का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से ग्रस्ति होने से एंव वाद हेतूक उत्पन्न नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. छोटू पिता खूमा पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
2. नारायण पिता स्व.जगन्नाथ पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
3. सोहन पिता स्व.जगन्नाथ पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. रतनी पुत्री स्व.जगन्नाथ पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
5. उदयलाल पिता किशन पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
6. हीरालाल पिता किशन पूर्बिया नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
7. मोहनी पिता किशन पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
8. रामी पिता किशन पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
9. भेरू पिता सेवा पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
10. नारायण पिता सेवा पूर्बिया गाडरी नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. गणपत पिता स्व.रतनलाल सुथार नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
2. भगवतीलाल पिता स्व.रतनलाल सुथार नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
3. गोपाल पिता स्व.रतनलाल सुथार नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सदर बाजार चित्तौडगढ

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए. (प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी

प्रकरण संख्या : 168 / 2019 (2019 / 00436)

वादीगण की ओर से वकील श्री चन्दनमल जणवा की, और प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता चम्पालाल जाट की उपस्थिति में यह प्रार्थना पत्र (07 नियम 11 जा.दी.) आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो के अनुसार वादीगण का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से ग्रस्ति होने से एंव वाद हेतूक उत्पन्न नही होने से खारिज किया जाता है।

यह आज दिनांक 05/05/26 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(...)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला चित्तौड़गढ़